

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। बार—बार पुकार लगाने पर भी व्यथिता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण विपक्षी की आपत्ति हेतु नियत चला आ रहा है। पूर्व तिथि पर व्यथिता के द्वारा पैरवी नहीं ली गयी है तथा आज भी व्यथिता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। व्यथिता को न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाता है। विपक्षी के विरुद्ध पुनः नोटिस जारी हो। व्यथिता को आदेशित किया जाता है कि वह आवश्यक पैरवी तीन दिन के भीतर लेना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते आपत्ति दिनांक 05.06.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।